आवश्यक/महत्वपूर्ण

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0

इन्दिरा भवन, चतुर्थ तल, अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: प्रनि-व-15-2016/2007 दिनांक : मई 4 , 2016

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख
पुलिस प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि उ0नि0ना0पु0 कोर्स के प्रशिक्षुओं की अनुशासनहीनता संबंधी कई प्रकरण प्रशिक्षण मुख्यालय को संदर्भित किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि ये प्रशिक्षु पब्लिक कैडिट (Public Cadet) हैं। वर्तमान में ये राज्य कर्मचारी नहीं हैं। अत: इनके संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही पी0टी0सी0 मैनुअल के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

2- पी0टी0सी0 मैनुअल भाग-III, अध्याय-III का पैरा-23 जो अनुशासन के संबंध में है, निम्नवत है :-

"23. (i) Every cadet shall obey all rules of the College and all orders issued by the Principal or any member of the Staff and shall apply himself with diligence and punctuality to the performance of his duties.

(ii) Cadets guilty of disobedience of orders, misconduct subversive of discipline or remissness or negligence in the performance of their duties shall be liable to any or all of the following punishements -

(a) Suspension and expulsion from the College by the Principal in anticipation of confirmatory orders from the Inspector General to whom a full report shall be submitted without delay.

This punishment shall be reserved for gross misconduct or flagrant and repeated breaches of discipine.

(b) Removal from the College with the prior sanction of the Inspector General.

This punishment should ordinarily be awarded to a cadet who in the judgment of the Principal is unlikely to become an efficient sub-inspector of police.

In such a case the Principal shall submit detailed report to the Inspector General.

(c) Reduction of rank (in the case of Section Commanders)
(d) Stoppage of leave concessions.
(e) Extra parades.

(iii) Promoted cadets shall be liable, in addition to the above punishments to the punishments defined in Section 7 and 29 of Act V of 1861.

(iv) The Principal shall have the power to award any of the punishments enumerated in sub-rule (ii) (c) (d) and (e) above; and his orders shall be final.

He may, however, delegate this power to Gazetted Officers as he may think fit.

For the purposes of awarding punishments under sub-rule (iii) above he shall have the powers of a Superintendent of Police."

3- (क) गंभीर प्रकरणों में निलम्बन तथा कालेज से एक निश्चित अवधि के लिए कैडिट को बाहर (Expel) किया जा सकता है। ऐसा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के द्वारा आदेशों की पुष्टि की प्रत्याशा में किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अविलम्ब विशेष वाहक भेजकर प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के आदेश प्राप्त किये जायें। कालेज से निष्कासन की अवधि साधारणतया निलम्बन अवधि को समाहित करते हुए एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। निलम्बन/निष्कासन की अवधि को प्रशिक्षण से अनुपस्थिति की तरह मानते हुये तद्नुसार पाठ्यक्रम में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पूरक परीक्षा अथवा अग्रिम बैच के साथ प्रशिक्षण के संबंध में निर्णय लिया जाये।

(ख) अति गंभीर प्रकरणों में उपरोक्त 23(ii)(b) के अनुसार कैडिट को कालेज से स्थायी रूप से निष्कासित किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाना चाहिये जब ऐसा मत बने कि उक्त कैडिट के एक दक्ष उपनिरीक्षक बनने की संभावना नहीं है। यह पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त ही किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण में भी विशेष वाहक भेजकर प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की स्वीकृति प्राप्त की जाये।

(ग) समस्त कार्यवाहियां करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन किया जाये तथा संबंधित कैडिट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान किया जाये।

4/5/16

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>प्रतिलिपि:</u> -

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

2- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

निर्गत